

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

(आयकर)

का.आ. 1436(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे बाद में उक्त अधिनियम कहा गया) की धारा 133ग तथा धारा 120 की उपधारा (1) तथा (2) तथा (5) के साथ पठित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 12 (घ) (जिसे बाद में उक्त नियम कहा गया) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा।

(क) प्राधिकृत करता है कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) (जिसे बाद में उक्त अनुसूची के रूप में सदर्भित किया गया) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त (क्षेत्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र) (सत्यापन एकक) [जिसे बाद में पीसीआईटी (आरईएफएसी) (वीयू) कहा गया] जिसका उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थानों पर मुख्यालय है, को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अन्य

प्राधिकार के साथ-साथ समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करने तथा अतिरिक्त प्रभार संभालने तथा ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों अथवा ऐसे मामलों के वर्ग अथवा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में तदनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों के वर्ग तथा उनसे सम्बन्धित आय अथवा आय के वर्ग के सम्बन्ध में समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(ख) उक्त अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त (आरईएफएसी) (वीयू) को अपर आयकर आयुक्त (आरईएफएसी) (वीयू) अथवा संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएफएसी) (वीयू) जो उनके अधीनस्थ हैं, द्वारा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में तदनुसूची प्रविष्टि में निर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र अथवा ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा ऐसे मामलों के वर्गों के सम्बन्ध में कार्यों का निष्पादन करने तथा लिखित रूप में शक्तियों का इस्तेमाल करने का आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) में संदर्भित अपर आयकर आयुक्त (आरईएफएसी) (वीयू) संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएफएसी) (वीयू) को उप आयकर आयुक्त (आरईएफएसी) (वीयू) / सहायक आयकर आयुक्त (आरईएफएसी) (वीयू) / आयकर अधिकारी (आरईएफएसी) (वीयू) जो उनके अधीनस्थ हैं, द्वारा उक्त अनुसूची का कॉलम (4) में तदनुसूची प्रविष्टि में ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र अथवा ऐसे व्यक्तियों अथवा ऐसे व्यक्तियों के वर्गों, अथवा ऐसी आय अथवा आय के वर्ग अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों के वर्ग जिसके सम्बन्ध में उपर्युक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रधान आयकर आयुक्त (आरईएफएसी) (वीयू) द्वारा अपर आयकर आयुक्त (आरईएफएसी) (वीयू) अथवा संयुक्त आयकर आयुक्त (आरईएफएसी) (वीयू) को प्राधिकृत किया जाता है, शक्तियों का इस्तेमाल करने तथा कार्यों का निष्पादन करने के लिए लिखित रूप में आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है:

“अनुसूची

क्र. सं.	पदनाम	मुख्यालय	अधिकारी क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), अहमदाबाद	अहमदाबाद	आयकर निदेशालय सिस्टम, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाली किसी सूचना से सम्बन्धित भारत के सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सीमाओं के भीतर सभी प्रकार की आयों से जुड़े व्यक्तियों के सभी मामले।
2	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), सूरत	सूरत	
3	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), बेंगलुरु	बेंगलुरु	
4	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), मंगलौर	मंगलौर	
5	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), चेन्नई	चेन्नई	
6	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), कोयंबटूर	कोयंबटूर	
7	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), त्रिची	त्रिची	
8	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), कोच्चि	कोच्चि	
9	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), दिल्ली-1	दिल्ली	
10	पीसीआईटी- आरईएफएसी वीयू, दिल्ली-2	दिल्ली	
11	पीसीआईटी- आरईएफएसी वीयू, दिल्ली-3	दिल्ली	
12	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), दिल्ली-4	दिल्ली	
13	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), हैदराबाद	हैदराबाद	
14	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), गुंटूर	गुंटूर	
15	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), कोलकाता-1	कोलकाता	
16	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), कोलकाता-2	कोलकाता	
17	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), कोलकाता-3	कोलकाता	
18	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), बर्दवान	बर्दवान	
19	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), मुम्बई-1	मुम्बई	
20	पीसीआईटी- (आरईएफएसी) (वीयू), मुम्बई-2	मुम्बई	

21	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), मुम्बई—3	मुम्बई
22	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), मुम्बई—4	मुम्बई
23	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), नागपुर	नागपुर
24	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), नासिक	नासिक
25	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), पुणे	पुणे
26	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), थाणे	थाणे
27	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), इंदौर	इंदौर
28	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), कटक	कटक
29	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), लुधियाना	लुधियाना
30	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), गुडगाँव	गुडगाँव
31	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), जोरहाट	जोरहाट
32	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), जोधपुर	जोधपुर
33	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), मुरादाबाद	मुरादाबाद
34	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), आगरा	आगरा
35	पीसीआईटी— (आरईएफएसी) (वीयू), मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 24/2021/फा. सं. 187/3/2020-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

SCHEDULE

S. No.	Designation	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PCIT- ReFAC (VU), Ahmedabad	Ahmedabad	All cases of persons in respect of all incomes within the limits of all States and Union Territories of India with respect to whom there is any information in the possession of Directorate of Income-tax (Systems), Central Board of Direct Taxes.
2	PCIT - ReFAC (VU), Surat	Surat	
3	PCIT - ReFAC (VU), Bengaluru	Bengaluru	
4	PCIT - ReFAC (VU), Mangalore	Mangalore	
5	PCIT - ReFAC (VU), Chennai	Chennai	
6	PCIT - ReFAC (VU), Coimbatore	Coimbatore	
7	PCIT - ReFAC (VU), Trichy	Trichy	
8	PCIT - ReFAC (VU), Kochi	Kochi	
9	PCIT - ReFAC (VU), Delhi-1	Delhi	
10	PCIT - ReFAC (VU), Delhi-2	Delhi	
11	PCIT - ReFAC (VU), Delhi-3	Delhi	
12	PCIT - ReFAC (VU), Delhi-4	Delhi	
13	PCIT - ReFAC (VU), Hyderabad	Hyderabad	
14	PCIT - ReFAC (VU), Guntur	Guntur	
15	PCIT - ReFAC (VU), Kolkata-1	Kolkata	
16	PCIT - ReFAC (VU), Kolkata-2	Kolkata	
17	PCIT - ReFAC (VU), Kolkata-3	Kolkata	
18	PCIT - ReFAC (VU), Burdwan	Burdwan	
19	PCIT - ReFAC (VU), Mumbai-1	Mumbai	
20	PCIT - ReFAC (VU), Mumbai-2	Mumbai	
21	PCIT - ReFAC (VU), Mumbai-3	Mumbai	
22	PCIT - ReFAC (VU), Mumbai-4	Mumbai	
23	PCIT - ReFAC (VU), Nagpur	Nagpur	
24	PCIT - ReFAC (VU), Nashik	Nashik	
25	PCIT - ReFAC (VU), Pune	Pune	
26	PCIT - ReFAC (VU), Thane	Thane	
27	PCIT - ReFAC (VU), Indore	Indore	
28	PCIT - ReFAC (VU), Cuttack	Cuttack	
29	PCIT - ReFAC (VU), Ludhiana	Ludhiana	
30	PCIT - ReFAC (VU), Gurgaon	Gurgaon	
31	PCIT - ReFAC (VU), Jorhat	Jorhat	
32	PCIT - ReFAC (VU), Jodhpur	Jodhpur	
33	PCIT - ReFAC (VU), Moradabad	Moradabad	
34	PCIT - ReFAC (VU), Agra	Agra	
35	PCIT-ReFAC (VU), Muzaffarpur	Muzaffarpur	

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2021.

[Notification No. 24/2021/F. No. 187/3/2020-ITA-I]

PRAJNA PARAMITA, Director